

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी भोपाल–462016 (म.प्र.)

बेवसाईट—<u>http://www.mpseiaa.nic.in</u> दूरभाषनं. — 0755—2466970, 2466859 फैक्सनं. — 0755—2462136

No: 426/ SEIAA/2025 Date: 24/05/2025

प्रति,

Shri Ruchir Jain,Saikripa, Near Santoshi Mata Temple,
J.R. Birla Marg, Raghurajnagar, Satna (M.P.)
E-mail - ruchir054540@gmail.com

विषय:- Proposal No. SIA/MP/MIN/477197/2024- Case No. 8922/2021 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method) in an area of 1.227 ha., for production capacity of 40,000 cum per annum, Khasra No. 1510(P), Village- Lakheri, Tehsil- Rajnagar, District- Chhatarpur, (M.P.) by Shri Ruchir Jain, Saikripa, Near Santoshi Mata Temple, J.R. Birla Marg, Raghurajnagar, Satna, Madhya Pradesh – 485005.

विषयान्तर्गत प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सिहत पर्यावरण अनुमित प्रदान किये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण दिनांक 08.06.2024 को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को अग्रेषित किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण SEIAA की बैठक में विचारण नहीं होने के कारण 45 दिवस से अधिक की अविध समाप्त हो गई है।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के पैरा 8 की कंडिका (iii) इस प्रकार है - "In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in subparagraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned."

अतः ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार उक्त प्रकरण में SEAC की 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सिहत पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को अंतिम निर्णय मानते हुए राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा "Deemed Approval" माना जाकर पर्यावरण अनुमित दी जाती है। तद्नुसार प्रकरण में ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार आगामी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आप स्वतंत्र हैं।

(प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमोदित)

(श्रीमन् शुक्ला) कार्यपालन संचालक, एप्को एवं सदस्य सचिव, SEIAA



पृ. क. 427 /SEIAA/2025 भोपाल दिनांक - 24/05/2025

प्रतिलिपि:-

- 1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोइ, नई दिल्ली - 110003।
- 3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
- 4. अध्यक्ष, SEIAA, एप्को पर्यावरण परिसर भोपाल (म.प्र.)।
- 5. अध्यक्ष SEAC, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)।
- 6. सदस्य सचिव, SEAC एवं सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल।
- 7. कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.)।
- 8. वन मंडलाधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)।
- 9. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल।
- 10. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल 462002।
- 11. खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)।
- 12. संबंधित फाईल।

की ओर सूचनार्थ।

कार्यपालन संचालक, एप्को एवं सदस्य सचिव, SEIAA

ग्रामवासियो में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200	 ग्रामवासी इन पेड़ों को अपने खेतों की मेड़ पर लगाएंगे। गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।
ग्राम पंचायत आलोनीया के प्राथमिक शाला	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	250	 गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। सुरक्षा हेतु परिसर में बाउंड्री वाल की व्यवस्था है।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

26. Case No. P2/1013/24 Shri VINOD AGARWAL, Lessee, 960, C.P. MISSION COMPOUND, JHANSI, SIPRI BAZAR, UTTARPRADESH. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 0.950 ha. (30,000 cum per annum) (Khasra No. 1/12,) Village –Pratappura, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.)

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व गौण खिनजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तो के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

27. Case No. 8922/2021 Shri RUCHIR JAIN, LEASE OWNER, Saikripa, Near Santoshi Mata Temple, J.R. Birla Marg, Raghurajnagar, Satna, Madhya Pradesh — 485005. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.227 ha. (40,000 cum per annum) (Khasra No. 1510(P)) VILLAGE- LAKHERI, TEHSIL-RAJNAGAR, DISTRICT- CHHATARPUR, (M.P.) EIA SIA/MP/MIN/477197/2024. EIA.

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गतपर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 7.6.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री रुचिर जैन (पट्टेदार) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजनाप्रस्तावक का	Shri Ruchir jain S/o Shri Shripal Jain
नाम व पता	R/O –Sai Kripa , Near-Santoshi Mata Mandir ,J.R.Birla Road District-Satna
	(M.P.)
खसरानं./ क्षेत्रफल	1510/ 1.227 ha(सरकारी भूमि / नॉनफॉरेस्ट लेंड)
(सरकारी / निजी)	
स्थल	VILLAGE- LAKHERI, TEHSIL- RAJNAGAR ,DISTRICT- CHHATARPUR AND STATE- MADHYA PRADESH.
लीजस्वीकृति	कार्यालय संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्य प्रदेश, भोपाल
	आदेश संख्या— 11632-34/ खनिज/उ. प्र./ नं. क्र. / 2020 भोपाल
	दिनांक— 21/01/2021के द्वारा स्वीकृत।
	, ,
ब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रॉकब्रेकर प्रस्तावित है ।
·	पत्र क्रमांक 39777— दिनांक 8.5.2024
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण
डियाई.सी. का विवरण	लागूनहीं
(यदि लागू हो)	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन —40,000 घनमीटर / वर्ष हेत् आवेदन किया गया है
	और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार स्टोन —40,000 घनमीटर / वर्ष है
टॉर	TOR Recommended in 548thSEAC Meeting dated 10/02/2022.
	TOR Letter no. 3310/SEIAA/2022, dated 04/03/2022
500 मीटर की परिधि	
1000 1101 471 41719	ુ ભાવાલય
मेंअन्य खदानें	
	केपत्रक्रमांक / 6301 / खनिज / 2021, छत्तरपुर, दिनांक – 09 / 11 / 2021 अनुसार 500
	केपत्रक्रमांक / 6301 / खनिज / 2021, छतरपुर, दिनांक – 09 / 11 / 2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंसंचालित / स्वीकृति 04 खदान जिसका कुल रकबा 8.425 हेक्टेयर है।
मेंअन्य खदानें	केपत्रक्रमांक / 6301 / खनिज / 2021, छतरपुर, दिनांक – 09 / 11 / 2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंसंचालित / स्वीकृति 04 खदान जिसका कुल रकबा 8.425 हेक्टेयर है। कार्यालय सामान्य वन मंडल जिला – छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण – पत्र के पत्र
मेंअन्य खदानें वनमण्डलाधिकारी की	केपत्रक्रमांक / 6301 / खनिज / 2021, छतरपुर, दिनांक – 09 / 11 / 2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंसंचालित / स्वीकृति 04 खदान जिसका कुल रकबा 8.425 हेक्टेयर है।
मेंअन्य खदानें वनमण्डलाधिकारी की	केपत्रक्रमांक / 6301 / खनिज / 2021, छतरपुर, दिनांक — 09 / 11 / 2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंसंचालित / स्वीकृति 04 खदान जिसका कुल रकबा 8.425 हेक्टेयर है। कार्यालय सामान्य वन मंडल जिला— छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण — पत्र के पत्र क्रमांक / मा .चि. / 2020 / 5067, छतरपुर, दिनांक — 05 / 12 / 2020 अनुसार 10 कि.
मेंअन्य खदानें वनमण्डलाधिकारी की	केपत्रक्रमांक / 6301 / खनिज / 2021, छतरपुर, दिनांक—09 / 11 / 2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंसंचालित / स्वीकृति 04 खदान जिसका कुल रकबा 8.425 हेक्टेयर है। कार्यालय सामान्य वन मंडल जिला—छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण—पत्र के पत्र क्रमांक / मा .चि. / 2020 / 5067, छतरपुर, दिनांक—05 / 12 / 2020 अनुसार 10 कि. मी. की परिधी में कोई नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र
मेंअन्य खदानें वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	केपत्रक्रमांक / 6301 / खनिज / 2021, छतरपुर, दिनांक—09 / 11 / 2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंसंचालित / स्वीकृति 04 खदान जिसका कुल रकबा 8.425 हेक्टेयर है। कार्यालय सामान्य वन मंडल जिला—छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण—पत्र के पत्र क्रमांक / मा .चि. / 2020 / 5067, छतरपुर, दिनांक—05 / 12 / 2020 अनुसार 10 कि. मी. की परिधी में कोई नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। कार्यालय तहसीलदारतहसीलराजनगरप्रभारीमंडलचंद्रनगर, जिला—छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण—पत्र के पत्र क्रमांक— 76 / प्रवा0ना0तह0 / 2012, छतरपुर,
मेंअन्य खदानें वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति तहसीलदार की	केपत्रक्रमांक / 6301 / खनिज / 2021, छतरपुर, दिनांक—09 / 11 / 2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंसंचालित / स्वीकृति 04 खदान जिसका कुल रकबा 8.425 हेक्टेयर है। कार्यालय सामान्य वन मंडल जिला—छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण—पत्र के पत्र क्रमांक / मा .चि. / 2020 / 5067, छतरपुर, दिनांक—05 / 12 / 2020 अनुसार 10 कि. मी. की परिधी में कोई नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। कार्यालय तहसीलदारतहसीलराजनगरप्रभारीमंडलचंद्रनगर, जिला—छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण—पत्र के पत्र क्रमांक— 76 / प्रवा0ना0तह0 / 2012, छतरपुर, दिनांक—25 / 05 / 2012 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट, भौक्षणिक
मेंअन्य खदानें वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति तहसीलदार की	केपत्रक्रमांक / 6301 / खनिज / 2021, छतरपुर, दिनांक—09 / 11 / 2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंसंचालित / स्वीकृति 04 खदान जिसका कुल रकबा 8.425 हेक्टेयर है। कार्यालय सामान्य वन मंडल जिला—छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण—पत्र के पत्र क्रमांक / मा .चि. / 2020 / 5067, छतरपुर, दिनांक—05 / 12 / 2020 अनुसार 10 कि. मी. की परिधी में कोई नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। कार्यालय तहसीलदारतहसीलराजनगरप्रभारीमंडलचंद्रनगर, जिला—छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण—पत्र के पत्र क्रमांक— 76 / प्रवा0ना0तह० / 2012, छतरपुर, दिनांक—25 / 05 / 2012 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक,
मेंअन्य खदानें वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति तहसीलदार की	केपत्रक्रमांक / 6301 / खनिज / 2021, छतरपुर, दिनांक—09 / 11 / 2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंसंचालित / स्वीकृति 04 खदान जिसका कुल रकबा 8.425 हेक्टेयर है। कार्यालय सामान्य वन मंडल जिला—छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण—पत्र के पत्र क्रमांक / मा .चि. / 2020 / 5067, छतरपुर, दिनांक—05 / 12 / 2020 अनुसार 10 कि. मी. की परिधी में कोई नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। कार्यालय तहसीलदारतहसीलराजनगरप्रभारीमंडलचंद्रनगर, जिला—छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण—पत्र के पत्र क्रमांक— 76 / प्रवा0ना0तह0 / 2012, छतरपुर, दिनांक—25 / 05 / 2012 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवेलाईन / सार्वजनिकभवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों
मेंअन्य खदानें वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति तहसीलदार की	केपत्रक्रमांक / 6301 / खनिज / 2021, छतरपुर, दिनांक—09 / 11 / 2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंसंचालित / स्वीकृति 04 खदान जिसका कुल रकबा 8.425 हेक्टेयर है। कार्यालय सामान्य वन मंडल जिला—छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण—पत्र के पत्र क्रमांक / मा .चि. / 2020 / 5067, छतरपुर, दिनांक—05 / 12 / 2020 अनुसार 10 कि. मी. की परिधी में कोई नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। कार्यालय तहसीलदारतहसीलराजनगरप्रभारीमंडलचंद्रनगर, जिला—छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण—पत्र के पत्र क्रमांक— 76 / प्रवा0ना0तह0 / 2012, छतरपुर, दिनांक—25 / 05 / 2012 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवेलाईन / सार्वजनिकभवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसेः रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /
मेंअन्य खदानें वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति तहसीलदार की	केपत्रक्रमांक / 6301 / खनिज / 2021, छतरपुर, दिनांक — 09 / 11 / 2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृति 04 खदान जिसका कुल रकबा 8.425 हेक्टेयर हैं। कार्यालय सामान्य वन मंडल जिला—छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण—पत्र के पत्र क्रमांक / मा .चि. / 2020 / 5067, छतरपुर, दिनांक — 05 / 12 / 2020 अनुसार 10 कि. मी. की परिधी में कोई नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। कार्यालय तहसीलदारतहसीलराजनगरप्रभारीमंडलचंद्रनगर, जिला—छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण—पत्र के पत्र क्रमांक — 76 / प्रवा0ना0तह0 / 2012, छतरपुर, दिनांक—25 / 05 / 2012 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवेलाईन / सार्वजनिकभवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसेः रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉपडैम / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहींहै।
मेंअन्य खदानें वनमण्डलाधिकारी की अनापितत तहसीलदार की अनापितत	केपत्रक्रमांक / 6301 / खनिज / 2021, छतरपुर, दिनांक—09 / 11 / 2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंसंचालित / स्वीकृति 04 खदान जिसका कुल रकबा 8.425 हेक्टेयर हैं। कार्यालय सामान्य वन मंडल जिला—छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण—पत्र के पत्र क्रमांक / मा .चि. / 2020 / 5067, छतरपुर, दिनांक—05 / 12 / 2020 अनुसार 10 कि. मी. की परिधी में कोई नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। कार्यालय तहसीलदारतहसीलराजनगरप्रभारीमंडलचंद्रनगर, जिला—छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण—पत्र के पत्र क्रमांक— 76 / प्रवा0ना0तह0 / 2012, छतरपुर, दिनांक—25 / 05 / 2012 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवेलाईन / सार्वजनिकभवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसेः रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअङ्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉपडैम / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहींहै। कार्यालय ग्राम पंचायत लखेरी जिला छतरपुर के उहराव प्रस्ताव क्रमांक / 141 / 2021.
मेंअन्य खदानें वनमण्डलाधिकारी की अनापितत तहसीलदार की अनापितत	केपत्रक्रमांक / 6301 / खनिज / 2021, छतरपुर, दिनांक — 09 / 11 / 2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृति 04 खदान जिसका कुल रकबा 8.425 हेक्टेयर है। कार्यालय सामान्य वन मंडल जिला— छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण — पत्र के पत्र क्रमांक / मा .चि. / 2020 / 5067, छतरपुर, दिनांक — 05 / 12 / 2020 अनुसार 10 कि. मी. की परिधी में कोई नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। कार्यालय तहसीलदारतहसीलराजनगरप्रभारीमंडलचंद्रनगर, जिला— छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण — पत्र के पत्र क्रमांक — 76 / प्रवाठनाठतहठ / 2012, छतरपुर, दिनांक — 25 / 05 / 2012 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवेलाईन / सार्वजनिकभवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसेः रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअङ्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाव / बांध / स्टॉपडैम / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहींहै। कार्यालय ग्राम पंचायत लखेरी जिला छतरपुर के टहराव प्रस्ताव क्रमांक / 141 / 2021. दिनांक 10 / 10 / 2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खननकार्य से पंचायत को कोई
मेंअन्य खदानें वनमण्डलाधिकारी की अनापितत तहसीलदार की अनापितत	केपत्रक्रमांक / 6301 / खनिज / 2021, छतरपुर, दिनांक—09 / 11 / 2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंसंचालित / स्वीकृति 04 खदान जिसका कुल रकबा 8.425 हेक्टेयर हैं। कार्यालय सामान्य वन मंडल जिला—छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण—पत्र के पत्र क्रमांक / मा .चि. / 2020 / 5067, छतरपुर, दिनांक—05 / 12 / 2020 अनुसार 10 कि. मी. की परिधी में कोई नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। कार्यालय तहसीलदारतहसीलराजनगरप्रभारीमंडलचंद्रनगर, जिला—छतरपुर (म.प्र.) के प्रमाण—पत्र के पत्र क्रमांक— 76 / प्रवा0ना0तह0 / 2012, छतरपुर, दिनांक—25 / 05 / 2012 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवेलाईन / सार्वजनिकभवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसेः रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअङ्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉपडैम / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहींहै। कार्यालय ग्राम पंचायत लखेरी जिला छतरपुर के उहराव प्रस्ताव क्रमांक / 141 / 2021.

प्रस्तावितस्थतपर वृक्षों	• लीज में स्थित पेड़ो का विवरण 12 पेडं है ।
की वर्तमानस्थिति	• यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण 02 पेड है ।
	• काटे गये पेड़ो के एवं में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 20 पेडं है।
प्रस्तावितस्थल की गूगल	उत्तर दिशा में रेलवे लाइन 98 मीटर पर स्थितं है ।
इमेज अनुसार वर्तमान	खदान के दक्षिण दिशा में मिनरल ट्रासंपोर्टशन रूट है।
स्थिति	
प्रस्तावित खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल कमाकं–52 एवं पृष्ठ कमाकं– 42 पर दज है ।
ंस्थिति	, ,
जनसुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्तजन सुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं
-	प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित
	सामाजिक / पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

परियोजनाप्रस्तावक द्वारादिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवंअन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता-40000 घनमीटर / वर्ष
- 2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशरप्लान्ट / एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशरप्लान्ट / एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमित नहीं दी जा सकेगी।
- 3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
- 4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.42 लाख एवं रिकृरिंगराशि रू. 4.52 लाख प्रतिवर्ष ।

S. No.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs.)		
C. F	C. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION				
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000		
(b)	Cost of water of 1780 ltr.@0.15 Rs/liter for 300 days)	NIL	80,100		
2	Garland Drain is proposed (240m x 1.5m x 1.5m) 2. Settling tank is 15m x 1.5m x 2.5m (02 Nos.)	2,00,000	20,000		
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (126m X 5m) @500/sqm	3,15,000	31,500		

4	Plantation in Barrier Zone @ Rs. 200/Plant. Total 450 Saplings- 450 x Rs.200= 90,000/-		
	Plantation in Approach Road @ Rs. 500/ Plant. Total 50 Saplings- 50 X Rs. 500=25,000/-	1,68,000	16,800
	Plantation in Village & School area @ Rs. 50/Plant. Total 1060 Saplings- 1060 X Rs. 50= 53,000/-		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) 75,000 for half year.	NIL	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) &Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15,000X2 and Rs. 1,000/year for maintenance.	30,000	10,000
8	Medical Check-up for 30 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	30,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25,000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 30 workers+ (2 Extra) =32 @ Rs. 1500/worker	48,000	4,800
11	Shelter rooms for labors (30*10) =300 Square feet @Rs.800/square ft.	2,40,000	24,000
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000
13	Half yearly PUC certification for 10 trucks @1000/truck	NIL	20,000
14	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	50,000	5,000
15	Miscellaneous Expenses such as for two solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development &maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
	Barbed fencing for 447m @ 300/meter	1,34,100	1,341
16	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	Crusher is not proposed	
18	Distribution of LED Bulb for reduction of carbon emmison	50,000	NIL
	Total	13,42,100/-	452,541/-

^{6.} सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.1 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :--

	B. FOR SOCIAL WELFARE -CER (As per MoEF&CC OM dated 25/02/21)			
क्रमांक	जन सुनवाई आधारित सीईआर गतिविधियां	राशि रू		
1	लखेरी गांव में पेयजल हेतु एक हैंडपम्प दिया जायेगा और हैंडपंप के चारो	50,000 / -		
	तरफ चबूतरा बनवाकर रेनवाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना प्रथम वर्ष मे			
	ंकिया जायेगा।			
2	लखेरी गांव के ग्रामवासियों के लिए आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खाते में योगदान राषि जमा प्रथम वर्ष में किया जायेगा।	50,000 / —		

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1560 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं	वृक्षारोपणहेतुप्रस्तावितस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा में)	(संख्या
1	बैरियरजोनमें शासकीय भूमि	शीशम,करंज, सागौन, खमेर,बबूल नीम, पीपल, चिरोल , बरगद एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	450	
2	परिवहनमार्गपेड़ों की न्यूनतमउचाई 1.5 मीटर	कदंब, अमलतास, अशोक, पुतरंजीवा, नीम, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	50	
3	लखेरीएवंनायगावंग्रामवासियोंमेंवितरणहेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, जामुन, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	520	
4	रेलवे लाइन के आस पास वृक्षारोपण	शीशम, करंज, सागौन, खमेर, बबूल नीम, पीपल, बरगद एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	520	
5	लखेरीप्राथमिकस्कूलमें	गुलमोहर, अमलतास शीशम, नीम, पीपल, बरगदएवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	20	
योग			1560	

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवंलीजअवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृतपौधों का बदलाव खनन् अवधि तककियाजाये । गरलेण्डड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवंप्रजाति का विवरणदेतेहुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवंसमीक्षा के आधारपरउपरोक्तविशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना कोपर्यावरणस्वीकृतिजारीकरने की अनुशंसा की जातीहै।

<u>Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:</u>

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

- and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on upstream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.